बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना–15, दिनांक – 2026

संचिका संख्या :15/खा०–01–03/2026–...../स्वा०, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से प्राप्त निदेश के आलोक में राज्यान्तर्गत खाद्य संरक्षा अधिकारियों की कमी को ध्यान में रखते हुए खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा–37(2) में राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वास्थ्य विभाग के अधीन जिला स्तर पर कार्यरत कुल–26(छब्बीस) पदाधिकारियों/चिकित्सकों/कर्मियों, जिनके पास खाद्य संरक्षा अधिकारी के पद पर कार्य करने हेतु वांछित शैक्षणिक योग्यता उपलब्ध है, को खाद्य संरक्षा अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु चयन करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया। तदालोक में विभाग स्तर से सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत चयनित अभ्यर्थियो द्वारा भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार के सयुक्त तत्वाधान में खाद्य संरक्षा एवं मानक नियम, 2011 के उप नियम–2.1.3(1) की कडिका–(iii) में निर्दिष्ट प्रशिक्षण में सफलतापूर्वक भाग लिया गया है।

2. उक्त प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक समापन के पश्चात् नव चयनित कुल–26(छब्बीस) खाद्य संरक्षा अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष अंकित स्तम्भ–4 के जिला/अनुमण्डल में खाद्य संरक्षा अधिकारी के रिक्त पद के विरूद्ध प्रतिनियुक्ति के आधार पर अगले आदेश तक निम्नवत् प्रतिनियुक्त किया जाता है :–

क्रम संख्या	पदाधिकारी/चिकित्सक/कर्मी का नाम, मूल पद एवं वर्त्तमान पदस्थापन स्थल	गृह जिला	नव पदस्थापन स्थल/प्रतिनियुक्ति स्थल
1	2	3	4
1.	श्री राणा जी, कुमार, स्वच्छता निरीक्षक, रेफरल हॉस्पीटल, अमरपुर बांका	भागलपुर	खाद्य संरक्षा अधिकारी, बॉका जिलान्तर्गत सभी अनुमण्डल

2.	डॉ० गौरव, मेडिकल ऑफिसर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोटवा, पूर्वी चम्पारण	प० चम्पारण	खाद्य संरक्षा अधिकारी, मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत मुजफ्फरपुर पूर्वी अनुमण्डल
3.	श्रीमती पूजा कुमारी, स्वच्छता निरीक्षक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, डुमरा, सीतामढी	समस्तीपुर	खाद्य सरक्षा अधिकारी, दरभंगा जिलान्तर्गत सभी अनुमण्डल
4.	श्री श्याम सुन्दर कुमार, वेक्टर रोग नियंत्रण पदाधिकारी सीतामढी	नवादा	खाद्य संरक्षा अधिकारी, भोजपुर जिलान्तर्गत सभी अनुमण्डल
5.	मो० आरिफ इकबाल, वेक्टर रोग नियंत्रण पदाधिकारी सीतामढी	भागलपुर	खाद्य संरक्षा अधिकारी, कटिहार जिलान्तर्गत सभी अनुमण्डल
6.	श्री अनिमेष कुमार, स्वच्छता निरीक्षक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बनमनखी पूर्णियॉ	सहरसा	खाद्य संरक्षा अधिकारी, अररिया जिलान्तर्गत सभी अनुमण्डल
7	डॉ विजय शकर प्रसाद, आयुष फिजिशियन (आयुर्वेदा) सदर अस्पताल, गोपालगंज	सिवान	खाद्य संरक्षा अधिकारी, प० चम्पारण जिलान्तर्गत सभी अनुमण्डल
8.	श्री अभिनव राज आनन्द, स्वच्छता निरीक्षक सिविल सर्जन ऑफिस, सहरसा	मधेपुरा	खाद्य संरक्षा अधिकारी, खगडिया जिलान्तर्गत सभी अनुमण्डल
9.	डॉ० अंसार आलम, यूनानी फिजिशियन, सदर अस्पताल, भागलपुर	कटिहार	खाद्य संरक्षा अधिकारी, किशनगंज जिलान्तर्गत सभी अनुमण्डल
10.	डॉ उमेश कुमार शर्मा, आयुष फिजिशियन (आयुर्वेदा) सदर अस्पताल, भागलपुर	अन्य राज्य (झारखण्ड)	खाद्य संरक्षा अधिकारी, पूर्णिया जिलान्तर्गत सभी अनुमण्डल
11.	डॉ० विपुल कुमार, आयुष फिजिशियन (आयुर्वेदिक) सदर अस्पताल, सिवान	गोपालगंज	खाद्य संरक्षा अधिकारी, सिवान जिलान्तर्गत महाराजगंज अनुमण्डल

12.	डॉ० निशांत कुमार, आयुष फिजिशियन, (हेमियोपैथिक) सदर अस्पताल, सिवान	सारण	खाद्य संरक्षा अधिकारी, पू० चम्पारण जिलान्तर्गत सभी अनुमण्डल
13.	डॉ० दुर्गा प्रसाद पाण्डेय, आयुष फिजिशियन(आयुर्वेदिक), सदर अस्पताल, सिवान	पटना	खाद्य संरक्षा अधिकारी, गोपालगज जिलान्तर्गत सभी अनुमण्डल
14.	डॉ० संतोष कुमार वर्मा, आयुष फिजिशियन (आयुर्वेदिक) सदर अस्पताल, सिवान	बक्सर	खाद्य संरक्षा अधिकारी, कैमूर जिलान्तर्गत सभी अनुमण्डल
15.	डॉ० मिहिर कुमार चौधरी, आयुष फिजिशियन(आयुर्वेदिक), सदर अस्पताल, मधुबनी	दरभंगा	खाद्य संरक्षा अधिकारी, सुपौल जिलान्तर्गत सभी अनुमण्डल
16.	डॉ० विजय कुमार, आयुष फिजिशियन (आयुर्वेदिक) सदर अस्पताल, मधुबनी	दरभंगा	खाद्य संरक्षा अधिकारी, सहरसा जिलान्तर्गत सभी अनुमण्डल
17.	डॉ० जितेन्द्र कुमार, आयुष फिजिशियन (होमियोपैथिक) सदर अस्पताल, मधुबनी	सुपौल	खाद्य संरक्षा अधिकारी, मधेपुरा जिलान्तर्गत सभी अनुमण्डल
18.	डॉ० मो० जाकिर अंसारी, आयुष फिजिशियन (यूनानी) सदर अस्पताल, मधुबनी	दरभंगा	खाद्य संरक्षा अधिकारी, मधुबनी जिलान्तर्गत सभी अनुमण्डल
19.	डॉ0 उपेन्द्र प्रसाद, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जमुआवा, नवादा	गया	खाद्य संरक्षा अधिकारी, औरंगाबाद जिलान्तर्गत सभी अनुमण्डल
20.	डॉ0 अंजू कुमारी, होमियोपैथिक मेडिकल ऑफिसर, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, फुलडीह, कौआकोल, नवादा	गया	खाद्य सरक्षा अधिकारी, नवादा जिलान्तर्गत सभी अनुमण्डल
21.	डॉ0 धमेन्द्र कुमार, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, करूआमनी, दीघलबैंक, किशंनगंज	औरंगाबाद	खाद्य संरक्षा अधिकारी, पटना जिलान्तर्गत बाढ अनुमण्डल

22.	डॉ० प्रभात रंजन, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, धरहरा, मुंगेर	लखीसराय	खाद्य संरक्षा अधिकारी, जमूई जिलान्तर्गत सभी अनुमण्डल
23.	डॉ० पंकज कुमार, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सूतूर्खाना, सदर प्रखण्ड, मुंगेर	लखीसराय	खाद्य संरक्षा अधिकारी, सीतामढी एव शिवहर जिलान्तर्गत सभी अनुमण्डल
24.	डॉ० पंकज कुमार, होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, वीरपुर, कांटी मुजफ्फरपुर	समस्तीपुर	खाद्य संरक्षा अधिकारी, पटना जिलान्तर्गत दानापुर एवं पालीगंज अनुमण्डल
25.	डॉ0 जुमिन्द्र प्रसाद, आयुष फिजिशियन (आयुर्वेदिक) अनुमडलिय अस्पताल पटोरी, समस्तीपुर	नांलदा	खाद्य संरक्षा अधिकारी, पटना जिलान्तर्गत पटना सदर अनुमण्डल
26.	श्रीमती कुमारी पूजा, स्वच्छता निरीक्षक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हिलसा, नांलदा	पटना	खाद्य संरक्षा अधिकारी, वैशाली जिलान्तर्गत हाजीपुर अनुमण्डल

3. खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा–37(2) के अधीन राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त सभी 26(छब्बीस) नव चयनित खाद्य संरक्षा अधिकारियों को उनके नाम के सामने स्तम्भ–4 में अंकित जिला/अनुमण्डल के अन्तर्गत खाद्य संरक्षा अधिकारी के पदीय कर्त्तव्यों के निर्वहन हेतु प्राधिकृत किया जाता है। उक्त सभी खाद्य संरक्षा अधिकारियो को संपूर्ण बिहार राज्य क्षेत्र के अधीन/आवंटित कार्य क्षेत्र में खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा–38 तथा खाद्य संरक्षा एवं मानक नियमावली, 2011 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–2.1.3 के उप नियम–4 के तहत् प्रदत्त शक्तियों/कर्त्तव्यों के निर्वहन हेतु अधिसूचित किया जाता है।

4. उक्त नव प्रतिनियुक्त सभी खाद्य संरक्षा अधिकारियों को निदेशित है कि अधिसूचित कार्य स्थल पर योगदान समर्पित करने के पूर्व वे इस आशय का शपथ–पत्र विभाग में समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे कि उनका किसी भी खाद्य पदार्थ के निर्माण, आयात या बिक्री में कोई वित्तीय हित शामिल नहीं है।

5. उक्त सभी खाद्य संरक्षा अधिकारियों को अपने आवंटित कार्यक्षेत्र के अधीन खाद्य संरक्षा एव मानक (खाद्य कारबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2011

(समय–समय पर यथा संशोधित) के अध्याय–1 के उप नियम–1.2.1(5) के तहत् पंजीकरण प्राधिकारी (Registering Authority) के रूप में भी अधिसूचित किया जाता है।

6. उक्त सभी पदाधिकारियों/चिकित्सकों/कर्मियों के वेतनादि का भुगतान संबंधित जिला के अभिहित अधिकारी द्वारा निर्गत अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर उनके मूल पदस्थापन जिला के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

7. उक्त सभी खाद्य संरक्षा अधिकारी, खाद्य संरक्षा आयुक्त, बिहार, पटना के समग्र प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्य करेंगे। क्षेत्र पदस्थापन के दौरान उक्त सभी पदाधिकारी, संबंधित जिला के अभिहित अधिकारी के नियंत्रणाधीन कार्य करेंगे।

8 उक्त सभी अधिकारी द्वारा सिर्फ खाद्य संरक्षा अधिकारी के दायित्वों एवं कृत्यों का निर्वहन किया जायेगा।

9. आकस्मिक अवकाश/प्रतिबंधित अवकाश/विशेषावकाश की स्वीकृति के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के अवकाश की स्वीकृति बिहार कार्यपालिका नियमावली के प्रावधानानुसार विभाग स्तर से सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन से किया जा सकेगा।

10 उक्त प्रतिनियुक्ति के आलोक में अधिसूचित खाद्य संरक्षा अधिकारियों द्वारा कार्य–भार लिये जाने के उपरांत संबंधित जिला/अनुमंडल के अधीन पूर्व से कार्यरत खाद्य संरक्षा अधिकारी अपने खाद्य संरक्षा अधिकारी के पदीय दायित्वों से स्वतः मुक्त समझे जायेंगे।

11. राज्यहित एवं जनस्वास्थ्य के हितों को ध्यान में रखते हुए उक्त प्रतिनियुक्ति पूर्णतः अस्थायी/वैकल्पिक व्यवस्था के तहत किया गया है। भविष्य में खाद्य संरक्षा अधिकारी के मूल पद पर स्थायी नियुक्ति हो जाने के उपरांत उक्त अधिसूचना स्वतः रद्द समझा जायेगा तथा संबंधित पदाधिकारी/चिकित्सक/कर्मी अपने मूल पद/पदस्थापन स्थल पर योगदान करने हेतु स्वतः विरमित समझे जायेंगे।

12. उपर्युक्त आदेश अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।

13. पूर्व से निर्गत एतद् संबंधी आदेश इस हद तक संशोधित/उत्क्रमित समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–
(कुमार रवि)
सचिव, स्वास्थ्य –सह– खाद्य संरक्षा आयुक्त,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– ..... पटना/दिनांक – 2026

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–

सचिव, स्वास्थ्य –सह– खाद्य संरक्षा आयुक्त,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– ..... पटना/दिनांक – 2026

प्रतिलिपि : गृह सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–

सचिव, स्वास्थ्य –सह– खाद्य संरक्षा आयुक्त,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– ..... पटना/दिनांक – 2026

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि इसे बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित कराते हुए इसकी 50 प्रतियॉ, खाद्य संरक्षा आयुक्त कार्यालय, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह०/–

सचिव, स्वास्थ्य –सह– खाद्य संरक्षा आयुक्त,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– ..... पटना/दिनांक – 2026

प्रतिलिपि : माननीय मुख्यमंत्री, बिहार, पटना के प्रधान सचिव/सचिव/माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/मुख्य सचिव, बिहार, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, एफ०डी०ए० भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली/अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–
सचिव, स्वास्थ्य –सह– खाद्य संरक्षा आयुक्त,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 432(150) पटना/दिनांक – 06/11/..... 2026

प्रतिलिपि . सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, बिहार/सचिव, स्वास्थ्य –सह– खाद्य संरक्षा आयुक्त, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/कोषांग/श्री अरविन्द कुमार वर्मा, विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/श्री धनजय कुमार, अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग/ श्री सुरेन्द्र राय, विशेष कार्य पदाधिकारी –सह– राज्य नोडल पदाधिकारी, खाद्य संरक्षा, बिहार, पटना/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य

सेवाएँ/सभी सबंधित विभागीय पदाधिकारी/ सभी अपर समाहर्त्ता –सह– न्याय निर्णायक पदाधिकारी, बिहार/सभी असैनिक शल्य चिकित्सक –सह– मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार/सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार/प्रभारी पदाधिकारी, संयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला, अगमकुआँ, पटना/सभी खाद्य विश्लेषक, बिहार/सभी अभिहित अधिकारी, बिहार/सभी सहायक अभिहित अधिकारी, बिहार/सभी खाद्य संरक्षा अधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

6/11/24

सचिव, स्वास्थ्य –सह– खाद्य संरक्षा आयुक्त,
बिहार, पटना।